प्रिय एन डी आई एस प्रतिभागी,

**आपके एन डी आई एस** (**NDIS) प्रदाता के पंजीकरण को बदलने का मेरा निर्णय
राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना अधिनियम 2013 के तहत**

मैं आपको यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि मैंने एन डी आई एस गुणवत्ता और सुरक्षा उपाय आयोग (NDIS आयोग) के साथ आपके NDIS प्रदाता के पंजीकरण की शर्तों को बदलने का फैसला किया है।

मैंने आपके एन डी आई एस प्रदाता को यह पत्र आपको देने के लिए कहा है, ताकि आप समझ सकें कि मैं उनकी पंजीकरण शर्तों को क्यों बदल रहा हूं।

**मेरे एन डी आई एस** (**NDIS) प्रदाता के लिए स्थितियाँ क्यों बदल रही हैं?**

यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका एन डी आई एस प्रदाता आपके घर में जो निजी सहायता प्रदान करता है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और वह सुरक्षित हो।

मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपका NDIS प्रदाता:

- आपके घर में पैदा होने वाले खतरों का आंकलन करता है

- आपके द्वारा प्रदान की गई सहायता की गुणवत्ता की जांच करता है

- आपसे पूछता है कि आप उन सहायता सेवाओं से कितने खुश हैं।

ऐसा करने के लिए, मैं आपके NDIS प्रदाता के पंजीकरण में एक नई शर्त जोड़ रहा हूँ।

इसका मतलब यह है कि 19 दिसंबर 2020 से, एक नई पंजीकरण शर्त के अंतर्गत, आपके पंजीकृत एन डी आई एस सहायता प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि आप दैनिक व्यक्तिगत गतिविधियों में सहायता के लिए केवल एक विशेष सहायक कार्यकर्त्ता का चयन करना चाहते हैं, तो वे आपको सुरक्षित रखने के लिए उसी कार्यकर्ता को भेजें, अन्य किसी को नहीं। यह नई शर्त उन सभी पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं पर लागू होगी जो अकेले रहने वाले एन डी आई एस प्रतिभागियों को दैनिक व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हैं।

आपके प्रदाता को यह आकलन करने के लिए आपके साथ काम करना होगा कि यदि आप केवल एक कार्यकर्ता पर भरोसा करते हैं तो क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आपको खतरा हो सकता है । वे आपके साथ एक समझौता भी करेंगे कि वे ऐसा कैसे करेंगे:

• अपने सहायक कार्यकर्ता का निरीक्षण करें

• जांचें कि आप आपको दी जाने वाली सहायता से कितने संतुष्ट हैं।

सभी प्रदाताओं को उन सभी प्रतिभागियों का अप-टू-डेट रिकॉर्ड रखना होगा जो एकल सहायक कार्यकर्ता द्वारा दैनिक व्यक्तिगत सहायता प्राप्त करते हैं।

मैंने इस पत्र में आपके लिए नई शर्त की एक पूरी प्रति को संलग्न किया है।

शीघ्र ही हम इन नई आवश्यकताओं को कानूनन लागू करने के लिए विकलांग लोगों, विकलांग लोगों के साथ काम करने वाले संगठनों, सेवा प्रदाताओं और राज्य और क्षेत्र की सरकारों के साथ परामर्श करेंगे।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें 1800 035 544 पर कॉल कर सकते हैं, या contactcentre@ndiscommission.gov.au पर हमें ईमेल कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं के लिए पंजीकरण के पंजीकरण और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं [www.ndiscommission.gov.au](http://www.ndiscommission.gov.au).

हम इस जानकारी को इज़ी रीड, ब्रेल और ऑसलन के साथ-साथ अन्य सामुदायिक भाषाओं में शीघ्र ही जारी करेंगे।

**अधिकारों का पुनरीक्षण करें**

यदि आप अकेले रहते हैं और केवल एक सहायक कर्मचारी से देखभाल सेवाएं प्राप्त करते हैं, तो आप अपने एन डी आई एस प्रदाता के पंजीकरण की शर्तों को बदलने के मेरे निर्णय से सीधे प्रभावित होते हैं। आपको एन डी आई एस आयोग में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। आपके पास पुनरीक्षण के लिए यह पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने तक का समय हैं।

आप 1800 035 544 पर हमें कॉल करके हमें एक पुनरीक्षण के लिए पूछ सकते हैं, या registration@ndiscommission.gov.au पर एक ई मेल भेज सकते हैं या इस पते पर पत्र लिख सकते हैं:

NDIS Quality and Safeguards Commission

PO Box 210

PENRITH NSW 2750

आपके अनुरोध में, आपको हमें यह बताने की आवश्यकता है कि आप क्यों मानते हैं कि यह निर्णय और आपको प्राप्त सहायता आपके लिए गलत है ।

एक बार समीक्षा के लिए आपका अनुरोध प्राप्त हो जाने के बाद, एन डी आई एस आयोग का एक अधिकृत व्यक्ति निर्णय का पुनरावलोकन करेगा। अनुरोध प्राप्त होने के बाद आपको जल्द से जल्द परिणाम की सूचना दी जाएगी।

सादर

**Samantha Taylor PSM
Registrar
NDIS Quality and Safeguards Commission***Delegate under section 202A of the NDIS Act*

# पंजीकरण की अतिरिक्त शर्त

# राष्ट्रीय विकलांगता बीमा अधिनियम 2013 की धारा 73 जी के तहत (एन डी आई एस अधिनियम)

# अकेले रहने वाले प्रतिभागियों को दैनिक व्यक्तिगत गतिविधियों में सहायता के लिए एन डी आई एस अधिनियम की धारा 73 G के तहत लगाई गई अतिरिक्त शर्त

1. यह शर्त प्रदाता पर तभी लागू होती है जब प्रदाता व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए पंजीकृत होता है।
2. यह शर्त 18 दिसंबर 2020 को लागू होती है।
3. इस शर्त में:

***उपयुक्त*** शब्द का अर्थ प्रतिभागी के संभावित खतरे सम्बन्धी कारणों के लिए उपयुक्त आदर का भाव।

***आमने-सामने बैठकर बात करना*** *या* ***आमने-सामने संपर्क*** करने का अर्थ है, प्रतिभागी के साथ व्यक्तिगत रूप से और सीधे संपर्क करना और इसमें ऑनलाइन या आभासी संचार या संपर्क शामिल नहीं है।

***प्रतिभागी*** का मतलब वो प्रतिभागी जो अकेले रहता है।

***व्यक्तिगत सहायता*** का मतलब है वह सहयोग जिसे राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना के अंतर्गत दैनिक व्यक्तिगत गतिविधियों में सहायता के रूप में सहायता की श्रेणी में संदर्भित किया गया है।

***खतरे के कारणों*** का अर्थ उन कारणों से है जो किसी भी प्रतिभागी की समुदाय में संलग्न होने की क्षमता पर महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, ये कारण खंड (7) में सूचीबद्ध कारक हैं और ***प्रतिभागी के खतरे के कारणों*** का अर्थ है खंड (4)(b) के तहत मूल्यांकन किए गए खतरे के कारण (यदि कोई हो) जो प्रतिभागी के संबंध में मौजूद हो।

***सेवा समझौते*** का मतलब व्यक्तिगत सहायता के प्रावधान के संबंध में एक सेवा समझौता है।

***सहायक कार्यकर्ता*** का अर्थ है, प्रतिभागी के संबंध में, एक व्यक्ति जो प्रतिभागी को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है।

1. खंड (5) के आधीन, प्रदाता को किसी प्रतिभागी को एकल सहायक कार्यकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक कि प्रदाता:
	1. सबसे पहले, मूल्यांकन किया है कि क्या प्रतिभागी के संबंध में कोई भी खतरनाक कारण मौजूद हैं; तथा
	2. दूसरे:
2. प्रतिभागी के साथ एक लिखित सेवा समझौता किया है; या
3. प्रतिभागी के लिए एक प्रस्तावित लिखित सेवा अनुबंध तैयार किया है, इसे प्रतिभागी के साथ दर्ज करने के लिए सभी उचित प्रयास किए हैं और प्रतिभागी को इसकी एक प्रति प्रदान की है।

*नोट: सेवा समझौते को व्यक्तिगत सहायता के प्रावधान तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह प्रतिभागी को प्रदान की गई अन्य सहायता या सेवाओं से भी संबंधित हो सकता है। सेवा समझौते को खंड (8) और (9) का अनुपालन करना चाहिए।*

1. यदि, यह स्थिति प्रारम्भ हो चुकी है, और यदि प्रदाता पहले से ही एक प्रतिभागी को एकल सहायक कार्यकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की अनुमति दे रहा है, तो प्रदाता के पास उस प्रतिभागी के सन्दर्भ में १ ९ दिसंबर २०१० तक खंड (४) की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समय है।
2. यदि प्रदाता ने प्रतिभागी को एक प्रस्तावित सेवा समझौते की एक प्रति प्रदान की है (जैसा कि खंड (4)(b)(ii) में उल्लिखित है) तो प्रदाता को प्रस्तावित समझौते के अनुसार प्रतिभागी को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करनी चाहिए।
3. इसमें निम्नलिखित खतरे हो सकते हैं:
4. प्रतिभागी किसी अन्य एन डी आई एस प्रदाता से, ऐसी सहायता या सेवाएं प्राप्त नहीं कर रहा है, जिसमें प्रतिभागी के साथ नियमित, आमने-सामने संपर्क होता है।
5. निम्नलिखित में से एक या अधिक लागू होता है:
6. प्रतिभागी या प्रतिभागी की योजना यह दर्शाती है कि प्रतिभागी के रिश्तेदारों, मित्रों या अन्य लोगों के साथ सीमित या कोई नियमित, आमने-सामने संपर्क नहीं है, जिसके साथ प्रतिभागी अच्छी तरह से परिचित है।
7. किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना प्रतिभागी की शारीरिक गतिशीलता सीमित या बिलकुल नहीं है।
8. प्रतिभागी स्वयं को शारीरिक रूप से मोबाइल बनाने या अपनी शारीरिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है।
9. किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना प्रतिभागी के पास दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता सीमित या कोई क्षमता नहीं है।
10. प्रतिभागी अन्य लोगों के साथ संचार को सक्षम या सुविधाजनक बनाने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है, जिसमें फोन या अन्य उपकरण के उपयोग को सक्षम या सुविधाजनक बनाना शामिल है।
11. प्रदाता के लिए आवश्यक है :
12. प्रतिभागी के खतरे के कारणों अपने मूल्यांकन का दस्तावेज;
13. मूल्यांकन पूरा करने के बाद यथोचित, व्यावहारिक रूप से, प्रतिभागी को मूल्यांकन की एक प्रति प्रदान करें;
14. प्रदाता की फ़ाइल में प्रतिभागी से संबंधित मूल्यांकन की एक प्रति रखें; तथा
15. जैसे ही प्रदाता को व्यवहारिक रूप से प्रतिभागी की परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के बारे में पता चलता है जो प्रतिभागी को व्यक्तिगत सहायता के प्रावधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है:
16. परिवर्तन के अनुसार मूल्यांकन को अपडेट (अद्यतन) करें;
17. प्रतिभागी को अद्यतन (अपडेटेड) मूल्यांकन की एक प्रति प्रदान करना; तथा
18. प्रतिभागी से संबंधित सेवा प्रदाता की फ़ाइल में अद्यतन (अपडेटेड ) मूल्यांकन की एक प्रति रखें।
19. सेवा अनुबंध या (जहां खंड (4)(b)(ii) लागू होता है) प्रदाता और प्रतिभागी के बीच प्रस्तावित सेवा समझौते में प्रतिभागी के खतरे के कारणों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए:
20. अनुबंध के अंतर्गत क्रमशः प्रतिभागी और प्रदाता के अधिकार और दायित्व;
21. वह तरीका जिसके अनुसार प्रतिभागी के सहायक कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा, इस चयन में प्रतिभागी की भूमिका शामिल है;
22. एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किया जाएगा, इस प्रक्रिया में प्रतिभागी के साथ सीधे काम करने वाले सहायक कार्यकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति, उपयुक्त पुनरावृत्ति, प्रतिभागी की संतुष्टि का स्तर, व्यक्तिगत सहायता की गुणवत्ता और पुनरावृत्ति के साथ प्रदान की जा रही सहायता, शामिल होंगे;
23. वह तरीका, जिसके द्वारा सेवा प्रदाता सहायक कार्यकर्त्ता के काम का निरीक्षण और निगरानी करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका कार्य समझौते के अनुरूप है और प्रतिभागी की सुरक्षा और भलाई, जिसमें पर्यवेक्षक द्वारा सहायक कार्यकर्ता के व्यक्तिगत निरीक्षण के लिए निर्देशानुसार और उचित समय के अंतराल में प्रतिभागी के घर के दौरे (जहाँ तक संभव हो) भी शामिल है;
24. वह तरीका, जिसके द्वारा प्रदाता प्रतिभागी से संवाद करेगा, जिसमें (जहाँ तक व्यवहारिक हो) प्रतिभागी से आमने-सामने की गई बातचीत, उसके घर में उपयुक्त अंतराल के बाद किया गया भ्रमण भी शामिल होना चाहिए;
25. वह तरीका, जिसके द्वारा प्रदाता अन्य प्रदाताओं के साथ संपर्क में रहेगा जो प्रतिभागी के घर में उसको सहायता या सेवाएं प्रदान करने में शामिल हैं, जिससे प्रतिभागी समुदाय में उपलब्ध गतिविधियों का उपयोग कर सके।
26. यदि प्रतिभागी के संबंध में किसी भी मौजूदा खतरनाक कारण को पहचान लिया गया है तो प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए:
27. प्रतिभागी के सहायक कार्यकर्ता के निरीक्षण के लिए एक लिखित योजना उपलब्ध है जो प्रतिभागी के खतरों के कारणों के सन्दर्भ में है और यह योजना ठीक से लागू की गई है;
28. प्रदाता के सभी प्रमुख कार्यकर्त्ता देखभाल और कौशल के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, प्रतिभागी को इस रिपोर्ट के अनुसार सहायक कार्यकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जा रही है, जो रिपोर्ट की नियमितता के साथ प्रतिभागी के खतरों के कारणों के संबंध में उचित है; तथा
29. उन रिपोर्टों में पहचानी गई चिंताओं को दूर करने के लिए प्रदाता द्वारा बिना किसी देरी के उचित कार्रवाई की जाती है।
30. सेवा प्रदाता को उन सभी प्रतिभागियों का रिकॉर्ड अप-टू-डेट रखना होगा, जिनके लिए प्रदाता एकल सहायक कार्यकर्ता के माधयम से व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है।